भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .1184

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।

1184. **श्री चरनजीत सिंह चन्नीः**
श्री तनुज पुनियाः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वित्तीय वर्ष 2019 से अब तक विभिन्न मदों के अंतर्गत कॉर्पोरेट और अन्य श्रेणियों के करदाताओं को दी गई कर रियायत, कटौतियों और प्रोत्साहनों के कारण श्रेणीवार कुल राजस्व हानि कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान, विशेषकर अवसंरचना, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च प्रोत्साहन वाले क्षेत्रों में राजस्व हानि का क्षेत्रवार और उद्योगवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, वेतन वृद्धि, नवाचार या क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में उक्त कर प्रोत्साहनों के प्रभाव की समीक्षा की है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख) : प्रत्यक्ष करों के संबंध में कर रियायत, कटौतियों और प्रोत्साहनों के कारण कुल राजस्व हानि:

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक छोड़ा गया राजस्व (प्रत्यक्ष कर) (रुपये करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	**कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन (क)**	**गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं (फर्म/एओपी/बीओआई) के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन (ख)**	**व्यक्तिगत एचयूएफ करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन (ग)**	**कुल योग (क)+(ख)+(ग)**
2019-20	94109.83	8,043.07	1,55,429.45	2,57,582.35
2020-21	75,218.02	7,731.61	1,28,244.23	2,11,193.86
2021-22	96,892.39	9,018.68	1,68,566.30	2,74,477.37
2022-23	88,109.27	10,920.83	1,96,678.95	2,95,709.05
2023-24 (प्रक्षेपित)	98,999.57	12,270.64	2,20,988.47	3,32,258.68

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर रियायत, कटौतियों और प्रोत्साहनों के कारण कुल राजस्व हानि:

कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (अप्रत्यक्ष कर) (रुपये करोड़ में)		
वर्ष	**सीमा शुल्क**	**कुल**
2019-20	79,114	79,114
2020-21	62,773	62,773
2021-22	37,680	37,680
2022-23	33,986	33,986
2023-24	37,252	37,252

(ग) से (घ) : ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है। विभिन्न करदाताओं को उपलब्ध रियायत और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और कर ढांचे को सरल बनाना सरकार की घोषित नीति है। वित्त अधिनियम, 2016 से शुरू करते हुए कॉर्पोरेट कर की दरों में धीरे-धीरे कमी की गई है। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत, कॉर्पोरेट्स को 22% की रियायती दर पर कर चुकाने का विकल्प दिया गया है, बशर्ते वे निर्दिष्ट कटौतियों या प्रोत्साहनों का लाभ न उठाएँ।

रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, मजदूरी वृद्धि, नवाचार या क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में कराधान दरें, रियायत और कर प्रोत्साहन, सरकार की समग्र राजकोषीय नीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास करना है।

*****